न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 244/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 रूपसिंह पुत्र देरावरसिंह 2 शैतानसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी खारा राठौड़ान तहसील रामसर जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1 श्री महेन्द्र कुमार रामावत, वकील प्रार्थीगण।
2 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 22/09/23

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा आदर्श चूली पटवार हल्का चूली तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 199/108 रकबा 10.00 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण ने 01.00 बीघा भूमि पैट्रोल पम्प हेतु व्यावसायिक करवाई थी, शेष 09.00 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज है। उक्त 01.00 बीघा भूमि व्यावसायिक रूप में दर्ज कर उसका अलग खसरा अंकन कर राजस्व नक्शा में तरमीम की गई। खेत के मध्य नई सड़क निकलने पर उसकी भूमि पर उसकी भूमि में से रकबा 0.7284 हैक्टेयर गैर मुमकीन सड़क दर्ज कर राजस्व नक्शा में अलग तरमीम की गई परन्तु उक्त सड़क की तरमीम गलत मोड़ बताकर वास्तविक सड़क से भिन्न तरमीम हो गई। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 199/108, 277/108 व गैर मुमकीन रास्ता खसरा संख्या 276/108 की मौका रिपोर्ट मंगवाकर मौके के अनुसार तरमीम की जानी न्यायोचित है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा आदर्श चूली पटवार हल्का चूली तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 199/108, 277/108 व गैर मुमकीन रास्ता 276/108 की मौके के अनुसार सही तरमीम किये जाने के आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक राजस्व/2023/229 दिनांक 15.02.2023 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट उपलब्ध करवाई कि मौजा आदर्श चूली पटवार हल्का चूली तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 199/108, 277/108 रकबा 0.0809 व 0.6475 हैक्टेयर खातेदार रूपसिंह पुत्र देरावरसिंह 1/2 शैतानसिंह पुत्र चन्दनसिंह 1/2 जाति राजपूत निवासी खारा राठौड़ान के नाम दर्ज है खसरा संख्या 276/108 रकबा 0.7284 हैक्टेयर सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 199/108 का रकबा 0.0809 हैक्टयर खसरा संख्या 277/108 का रकबा 0.6475 हैक्टेयर दर्ज है, जबकि मौके पर खसरा संख्या 199/108 में से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने पर तरमीम की गई है। मौके के अनुसार व नक्शा में की गई तरमीम अनुसार नाप करने पर खसरा संख्या 199/108 का कुल रकबा 0.1214 हैक्टेयर व खसरा संख्या 277/108 का कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर बनता है। मौका व तरमीम अनुसार नाप अनुसार खसरा संख्या 199/108 रकबा 0.0809 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.1214 हैक्टेयर व खसरा संख्या 277/108 का

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

रकबा 0.6475 हैक्टयर के स्थान पर 0.6070 किया जाना प्रस्तावित है। नक्शा में तरमीम सही होने से केवल खसरा संख्या का रकबा बदलना प्रस्तावित किया है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2074—2077, नक्शों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के मद्देनजर मौजा आदर्श चूली पटवार हल्का चूली तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 199/108 का कुल रकबा 0.1214 हैक्टेयर व खसरा संख्या 277/108 का कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर बनता है। मौका व तरमीम अनुसार नाम अनुसार खसरा संख्या 199/108 रकबा 0.0809 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.1214 हैक्टेयर व खसरा संख्या 277/108 का रकबा 0.6475 हैक्टयर के स्थान पर 0.6070 किये जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा आदर्श चूली पटवार हल्का चूली तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 199/108 रकबा 0.0809 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.1214 हैक्टेयर व खसरा संख्या 277/108 का रकबा 0.6475 हैक्टयर के स्थान पर रकबा 0.6070 हैक्टयर दुरूस्त (शुद्धिकरण) करने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 22/09/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर